



उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिये CSR फंड का उपयोग करेगा

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये राज्य के [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(CSR\)](#) भंडार को बढ़ाने के लिये कॉर्पोरेट्स की ओर रुख करेगी।

मुख्य बंदि:

- उत्तर प्रदेश उन शीर्ष पाँच राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य **महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु** शामिल हैं।
- **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 135 कुछ कंपनियों को पछिले तीन वित्तीय वर्षों से अपने औसत मुनाफे का 2% CSR गतिविधियों के लिये आवंटित करने का आदेश देती है।
- राज्य ने CSR फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर नजी क्सेत्र की अग्रणी कंपनियों के योगदान को भी स्वीकार किया है।
 - वर्ष 2014-15 में, यूपी को केवल 148 करोड़ रुपए मिले जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 435 करोड़ रुपए हो गए। वर्ष 2021-22 में, यूपी में 1,321 करोड़ रुपए का CSR खर्च हुआ जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपए हो गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में यह दृष्टिकोण नहिंति है कि कंपनियों को पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का आकलन करना चाहिये और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, **साथ ही सकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिये।**
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के चार मुख्य प्रकार हैं:
 - पर्यावरणीय उत्तरदायित्व
 - नैतिक उत्तरदायित्व
 - परोपकारी उत्तरदायित्व
 - आर्थिक उत्तरदायित्व
- **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं **जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है** या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है या उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है।
 - इस अधिनियम में कंपनियों द्वारा एक **CSR समिति** गठित करना आवश्यक है जो नदिशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सफ़िरशि करेगी और समय-समय पर उसकी नगिरानी भी करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013

- **भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 1956 में अधिनियमिति किया गया था।** यह कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने में सकषम बनाता है, कंपनियों, उनके कार्यकारी नदिशक और सचिवों की ज़िम्मेदारियों को नरिधारित करता है।
- **वर्ष 2013 में सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया और एक नया अधिनियम जोड़ा जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 कहा गया।**
 - कंपनी अधिनियम, 1956 को आंशिक रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रतस्स्थापित किया गया था।
 - यह एक अधिनियम बन गया और अंततः यह सतिंबर 2013 में लागू हुआ।
- **वर्ष 2020 में भारत की संसद ने कंपनी अधिनियम में और संशोधन करने तथा वभिन्न अपराधों को कम करने के साथ-साथ देश में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिये कंपनी (संशोधन) विधियक, 2020 पारित किया।**
- प्रस्तावति परिवर्तनों में कुछ अपराधों के लिये दंड में कमी के साथ-साथ अधिकारों के मुद्दों के संदर्भ में समय-सीमा, कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय**
- **याधिकरण (NCLAT)** में अलग बेंच की स्थापना भी शामिल है

